कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग,लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

संख्या : 228/अनु0–2/सी0ई0एच0/प्रोन्नति/2020 दिनॉक : 31.01.2020

कार्यालय ज्ञापन

उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रिक्त पदो के विरूद्व कार्मिकों के चयनोंपरान्त विद्युत सेवा आयोग के पत्र संख्या–469/विसेआ/टी0जी0–2–जे0ई0, दिनॉक 03.03.2019 द्वारा प्रेषित सूची में निम्नलिखित कार्मिकों को प्रतिबन्धाधीन चयनित किया गया था। विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 1076/विसेआ/टी0जी0–2–जे0ई0, दिनॉक 23.05.2019, पत्रांक 1602/विसेआ/टी0जी0–2–जे0ई0, दिनॉक 29.07.2019 एवं पत्रांक 1769/विसेआ/टी0जी0–2–जे0ई0, दिनॉक 09.09.2019 के सन्दर्भ में प्रतिबन्धाधीन चयनित तकनीशियन कार्मिकों जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (DP) के प्रकरण लम्बित थे, के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर ऐसे निम्नलिखित कार्मिको, जिनके अनुशासनिक कार्यवाही (DP) सम्बन्धी प्रकरण सम्बन्धित डिस्काम द्वारा परीक्षणोपरान्त समाप्त कर दिये गये है, को सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 पा0का0लि0 व उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से उ0प्र0 पाकालि के ज्ञाप संख्या–1090–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2016–4–काविनी/12(टीसी), दिनॉक 21.12.2016 में निहित प्राविधानानुसार छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैण्ड–।। (9300–34800) में ग्रेड वेतन रू0 4600.00 के सापेक्ष प्रारम्भिक प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन रू0 12540.00 (सातवे वेतनमान में यथा अनुमन्य संशोधित) पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (वि0 एवं यॉ0) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित निगमों/इकाईयों में अग्रेतर तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थल एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कार्मिकों का विवरण

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री....	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त आवंटित इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CEHC-2751	AJAY KUMAR	OM PRAKASH	01-08-1982	Saharanpur	EDD-1 Saharanpur	PVVNL, Meerut
2	CEHC-2327	RAJENDRA SINGH	KASHI RAM	02-03-1974	MORADABAD	ETD-I, Moradabad	PVVNL, Meerut
3	CEHC-2398	AJAY KUMAR AAJAD	BHAVNATH PRASAD	01-02-1976	SIDDARTH NAGAR	EUTD-2 Noida	PVVNL, Meerut
4	CEHC-0315	BABU LAL	KESHO	2704-1963	ALIGARH	EDD-I, LONI, Ghaziabad	PVVNL, Meerut

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को

2. सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग–अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :–

(क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(ख) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ग) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरूद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

4. सम्बन्धित डिस्काम/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक, उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विषय में यह मानते हुये कि वह प्रोन्नति पद स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

5. चयनित कार्मिकों के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।

1. नव–तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण–पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (हा0), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(क) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेगें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेगें।

(ख) प्रोन्नति कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

1. डिस्काम/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
2.. समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
3. विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
4. डिस्काम/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
5. इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 1 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।

6. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति ट्रांस्को/डिस्काम के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (हा0) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

......3

7. प्रकरण में शेष रिक्त पदों के विरूद्ध अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
9. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित किसी भी याचिका में पारित आदेश के प्रतिबन्धाधीन है।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 228 /अ–2/तद्दिनॉक : 31.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
6. अध्यक्ष एवं निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. सचिव विद्युत सेवा आयोग एस0एल0डी0सी0 परिसर विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0 की वेबसाइड पर अपलोड़ करवाने का कष्ट करें।
9. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।

31.01.2020

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक (षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)